प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद– आगरा, इलाहाबाद, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, अलीगढ़, मेरठ, इटावा एवं गोरखपुर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / सी0एच0 / CCSP / 18–2 / 2016–17 / 38333 दिनांक 27 / 09 / 2016

विषय–समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेजों में सपोर्ट स्टाफ संविदा (मेडिकल आफीसर –ट्रेनिगं काऑडिनेटर) के मानदेय के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश के चयनित 9 मेडिकल कॉलेजों में समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इसी क्रम में **F-IMNCI** मेडिकल आफीसर प्रशिक्षण, **F-IMNCI** स्टॉफ नर्स प्रशिक्षण, **CCSP-Physicians (IMNCI Plus)** फिज़ीशियन्स प्रशिक्षण एवं **IYCF** प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराये जाने हेतु प्रदेश के चयनित 9 मेडिकल कॉलेजों में सपोर्ट स्टाफ संविदा मेडिकल आफीसर (ट्रेनिगं काऑडिनेटर) के मानदेय हेतु वर्ष 2016–17 की आर0ओ0पी0 में धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

<u>वित्त पोषण</u>

प्रदेश के चयनित 9 मेडिकल कॉलेजों में स्पोर्ट स्टाफ–संविदा ट्रेनिंग को–आर्डिनेटर (मेडिकल ऑफीसर) के मानदेय हेतु प्रति इकाई 1 संविदा ट्रेनिंग को–आर्डिनेटर (मेडिकल ऑफीसर) पूर्व से कार्यरत 3 चिकित्सा अधिकारियों को रू0 41580/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय देय होगा **तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्वि दी जायेगी** एवं 6 संविदा ट्रेनिंग को–आर्डिनेटर (मेडिकल ऑफीसर) के रू0 39600/– प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय हेतु तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Funds for Medical Officer/Training Coordinator, Honorarium at Medical College							
			Medical Officer/Training Coordinator				
S.N.	Districts	Medical College	Old, MO @41580 per Month for 12 months	New, Mo@39600 Per Month for 6 months	5% increment for Old MO for 12 months	Total Honorarium of MO	Total Honorarium old & new of MO + 5% increment for old MO (3+4)
	FMR Code-A.8.1.5.7		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Agra	Deptt. of SPM, SN Medical College, Agra	1	0	24948	498960	523908
2	Allahabad	Deptt. of SPM, MLN Medical College, Allahabad	1	0	24948	498960	523908
3	Jhansi	Deptt. of SPM, MLB Medical College, Jhansi	0	1	0	237600	237600
4	Kanpur	Deptt. of SPM, GSVM Medical College, Kanpur		1	0	237600	237600
5	Lucknow	Deptt. of Ped. KGMU, Lucknow	1	0	24948	498960	523908
6	Aligarh	Deptt. of Ped. JN Medical College, AMU, Aligarh	0	1	0	237600	237600
7	Meerut	Deptt. of Ped., LLR Med. College, Meerut	0	1	0	237600	237600
8	Etawah	Deptt. of Ped., Med. Rural Institute, Saifai, Etawah	0	1	0	237600	237600
9	Gorakhpur	BRD, Medical College Gorakhpur	0	1	0	237600	237600

संविदा मेडिकल आफीसर (ट्रेनिगं काऑडिनेटर)–के कार्य एवं दायित्व–

मेडिकल कॉलेज में समय–समय पर संचालित RMNCH+A के अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षणों का समुचित प्रबन्धन करना। सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) एवं **पोषण पुनर्वास केन्द्र** (NRC) की देखरेख, रिपोर्टिंग एवं विभागाध्यक्ष से समन्वय। सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से संचालित प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर निगरानी रखना। मेडिकल कॉलेज के इन्टर्न, पी0जी0 स्टूडेन्ट को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की जानकारी देना/प्रशिक्षित करना। आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश के अन्य जनपदों में प्रशिक्षक के रूप में भाग लेना। मेडिकल कॉलेजों में संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण सत्रों का समय से आयोजित करना।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवटिंत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

नोटः–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की पृविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / सी0एच0 / CCSP / 18–2 / 2016–17 /   दिनांक   / 09 / 2016

प्रतिलिपिः निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य** एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा**, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा**, जवाहर भवन लखनऊ।
4. **कुलपति**, किगंजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ / अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
5. **निदेशक**, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा।
6. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. **प्रधानाचार्य**, एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, **आगरा** / एम0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज, **इलाहाबाद** / एम0एल0बी0 मेडिकल कॉलेज **झाँसी** / जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, **कानपुर** / बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज, **गोरखपुर** / एल0एल0आर0 मडिकल कॉलेज, **मेरठ** / जे0एन0, मडिकल कॉलेज **अलीगढ़**।
8. **विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग / एस0पी0एम0 विभाग**, एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, **आगरा** / एम0एल0 एन0 मेडिकल कॉलेज, **इलाहाबाद** / एम0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज **झाँसी** / जी0एस0वी0 एम0 मेडिकल कॉलेज, **कानपुर** / के0जी0एम0यू0, **लखनऊ** / जे0एन0, मेडिकल कॉलेज, **अलीगढ** / एल0 एल0आर0 मेडिकल कॉलेज, **मेरठ** / उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, **इटावा** / बी0आर0 डी0, मेडिकल कॉलेज, **गोरखपुर**।
9. सम्बन्धित मण्डलीय / जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद– आगरा, इलाहाबाद, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, अलीगढ़, मेरठ, इटावा एवं गोरखपुर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/CCSP/18–2/2016–17/ दिनांक 21/09/2016

विषय–समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेजों में सपोर्ट स्टाफ संविदा (मेडिकल आफीसर –ट्रेनिगं काऑडिनेटर) के मानदेय के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश के चयनित 9 मेडिकल कॉलेजों में समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इसी क्रम में **F-IMNCI** मेडिकल आफीसर प्रशिक्षण, **F-IMNCI** स्टॉफ नर्स प्रशिक्षण, **CCSP-Physicians (IMNCI Plus)** फ़िज़ीशियन्स प्रशिक्षण एवं **IYCF** प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराये जाने हेतु प्रदेश के चयनित 9 मेडिकल कॉलेजों में सपोर्ट स्टाफ संविदा मेडिकल आफीसर (ट्रेनिगं काऑडिनेटर) के मानदेय हेतु वर्ष 2016–17 की आर0ओ0पी0 में धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

<u>वित्त पोषण</u>

प्रदेश के चयनित 9 मेडिकल कॉलेजों में स्पोर्ट स्टाफ–संविदा ट्रेनिंग को–आर्डिनेटर (मेडिकल ऑफीसर) के मानदेय हेतु प्रति इकाई 1 संविदा ट्रेनिंग को–आर्डिनेटर (मेडिकल ऑफीसर) पूर्व से कार्यरत 3 चिकित्सा अधिकारियों को रू0 41580/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय देय होगा **तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि दी जायेगी** एवं 6 संविदा ट्रेनिंग को–आर्डिनेटर (मेडिकल ऑफीसर) के रू0 39600/– प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय हेतु तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Funds for Medical Officer/Training Coordinator, Honorarium at Medical College							
S.N.	Districts	Medical College	Medical Officer/Training Coordinator				
			Old, MO @41580 per Month for 12 months	New, Mo@39600 Per Month for 6 months	5% increment for Old MO for 12 months	Total Honorarium of MO	Total Honorarium old & new of MO + 5% increment for old MO (3+4)
	FMR Code-A.8.1.5.7		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Agra	Deptt. of SPM, SN Medical College, Agra	1	0	24948	498960	523908
2	Allahabad	Deptt. of SPM, MLN Medical College, Allahabad	1	0	24948	498960	523908
3	Jhansi	Deptt. of SPM, MLB Medical College, Jhansi	0	1	0	237600	237600
4	Kanpur	Deptt. of SPM, GSVM Medical College, Kanpur		1	0	237600	237600
5	Lucknow	Deptt. of Ped. KGMU, Lucknow	1	0	24948	498960	523908
6	Aligarh	Deptt. of Ped. JN Medical College, AMU, Aligarh	0	1	0	237600	237600
7	Meerut	Deptt. of Ped., LLR Med. College, Meerut	0	1	0	237600	237600
8	Etawah	Deptt. of Ped., Med. Rural Institute, Saifai, Etawah	0	1	0	237600	237600
9	Gorakhpur	BRD, Medical College Gorakhpur	0	1	0	237600	237600

__संविदा मेडिकल आफीसर (ट्रेनिगं काऑडिनेटर)–के कार्य एवं दायित्व–__

मेडिकल कॉलेज में समय–समय पर संचालित RMNCH+A के अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षणों का समुचित प्रबन्धन करना। सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) एवं **पोषण पुनर्वास केन्द्र** (NRC) की देखरेख, रिपोर्टिंग एवं विभागाध्यक्ष से समन्वय। सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से संचालित प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर निगरानी रखना। मेडिकल कॉलेज के इर्न्टन, पी0जी0 स्टूडेन्ट को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की जानकारी देना/प्रशिक्षित करना। आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश के अन्य जनपदों में प्रशिक्षक के रूप में भाग लेना। मेडिकल कॉलेजों में संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण सत्रों का समय से आयोजित करना।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवटिंत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

__नोटः–__

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की पृविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. __प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।__
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / सी0एच0 / CCSP / 18–2 / 2016–17 / 5833-99 दिनांक /09/2016

प्रतिलिपिः निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य** एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा**, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा,** जवाहर भवन लखनऊ।
4. **कुलपति,** किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ / अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
5. **निदेशक,** उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा।
6. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. **प्रधानाचार्य,** एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, **आगरा** / एम0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज, **इलाहाबाद** / एम0एल0बी0 मेडिकल कॉलेज **झाँसी** / जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, **कानपुर** / बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज, **गोरखपुर** / एल0एल0आर0 मडिकल कॉलेज, **मेरठ** / जे0एन0, मडिकल कॉलेज **अलीगढ़।**
8. **विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग / एस0पी0एम0 विभाग,** एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, **आगरा** / एम0एल0 एन0 मेडिकल कॉलेज, **इलाहाबाद** / एम0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज **झाँसी** / जी0एस0वी0 एम0 मेडिकल कॉलेज, **कानपुर** / के0जी0एम0यू0, **लखनऊ** / जे0एन0, मेडिकल कॉलेज, **अलीगढ** / एल0 एल0आर0 मेडिकल कॉलेज, **मेरठ** / उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, **इटावा** / बी0आर0 डी0, मेडिकल कॉलेज, **गोरखपुर।**
9. सम्बन्धित मण्डलीय / जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य